Annexure-I

FORM-I

(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Sikar

XEN 13/5/15

*****

No./F6A/Rev/LAO/2013/ 7220 Dated 12-05-2015

1374 13/5/15

TO WHOSE EVER IT MAY CONCERN

To,

Commissioner,

Municipal Council, Sikar,

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that that in village Devipura Tehsil Sikar dist. Sikar Khasara no.- 410 area **4.20** hectares type G.M. Janglat of forest land proposed to be diverted in favour of **Municipal Council, Sikar** (name of user agency)for Construction of Link Road from opposite Stadium Sikar Sanwali Road to Industrial area, Sikar in Sikar district falls within jurisdiction of **Devipura Beed** village(s) in **Sikar** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.20** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of Certificate of concerned commissioner & Chairman of Municipal Council, Sikar is enclosed as annexure - I.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the commissioner & Chairman of Municipal Council, Sikar have given their consent to it:

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

(L.N.Soni)

District Collector Sikar

जिला कलक्टर, सीकर

Dated.....................

No./FRA/2006/Aqe/Rev/

Copy forwarded to:

1. D.F.O. Sikar for N/A.

District Collector Sikar

D:\NH-11\Ashok Pc\N.H\Praman-patra English - 15

परिशिष्ट - A

कार्यालय नगर परिषद, सीकर

214-216

05/3/2014

मण्डल बैठक कार्यवाही

नगर परिषद, सीकर के मण्डल की विशेष स्थगित बैठक का आयोजन सभापति नगर परिषद, सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 23.02.2014 को सुबह 11.00 बजे परिषद के सभा भवन में किया गया, बैठक में निम्न माननीय महानुभाव उपस्थित हुऐ :-

1. श्रीमति राजेश्वरी – सभापति
2. श्री रतन जी जलधारी – माननीय विधायक
3. श्रीमति विमल कुल्हरी – उपसभापति
4. श्री मोहम्मद शाकीर – पार्षद
5. श्रीमति रूकिया बानो – पार्षद
6. श्रीमति हव्वा – पार्षद
7. श्री रामअवतार सांखला – पार्षद
8. श्रीमति पार्वती देवी – पार्षद
9. श्री मोहम्मद सदीक – पार्षद
10. श्री रमेशचन्द – पार्षद
11. श्री विनोद कुमार सेठी – पार्षद
12. श्री मोहम्मद मुश्ताक – पार्षद
13. श्रीमति फरीदा बानो – पार्षद
14. श्रीमति नसीम / मुबारक – पार्षद
15. श्रीमति शकीला / अब्दुल जब्बार – पार्षद
16. श्री विजय कुमार शर्मा – पार्षद
17. श्री जगदीश कुमावत – पार्षद
18. श्रीमति परमेश्वरी देवी – पार्षद
19. श्री मोहम्मद सलीम – पार्षद
20. श्री मोहम्मद रफीक – पार्षद
21. श्री महिपाल मीणा – पार्षद
22. श्री सम्पत सिंह – पार्षद

23. श्रीमति सुमन दीक्षित – पार्षद

24. श्रीमति सुबे दौलत – पार्षद

25. श्री गोपाल सिंह – पार्षद

26. श्री बाबुलाल शर्मा – पार्षद

27. श्रीमति सम्पत खीचड़ – पार्षद

28. श्री प्रहलाद सैनी – पार्षद

29. श्रीमति सावित्री देवी – पार्षद

30. श्री मोहम्मद फारूक – पार्षद

31. श्रीमति तसलीम बानो – पार्षद

32. श्रीमति किरण / विनोद – पार्षद

33. श्री जीवण खां – पार्षद

34. श्री शिवकुमार – पार्षद

35. श्री गिरधारीलाल – पार्षद

36. श्रीमति सुशीला देवी – पार्षद

37. श्रीमति सरोज देवी – पार्षद

38. श्रीमति लक्ष्मी देवी – पार्षद

39. श्रीमिती माया शर्मा – पार्षद

40. श्रीमति शारदा देवी – पार्षद

41. श्रीमति आबिदा बानो – पार्षद

42. श्री मोहम्मद इमरान – पार्षद

आज दिनांक 23.02.2014 को सुबह 11.00 बजे कोरम पूर्ण होने पर सभापति महोदया श्रीमति राजेश्वरी देवी की अध्यक्षता में 19.02.2014 को स्थगित बैठक की पुनः कार्यवाही शुरू हुई।

सभापति ने सर्व प्रथम उपस्थित सभी पार्षदगण, विधायक महोदय, अधिकारीगण / कर्मचारी व प्रेस जगत के प्रतिनिधियों का स्वागत किया एवं कार्यवाही पुनः शुरू की गई।

प्रस्ताव संख्या 1 :– वित्तीय वर्ष 2013–14 का संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2014--15 का बजट अनुमान पर विचार एवं स्वीकृति।

माननीय पार्षद श्री विजय कुमार ने जानना चाहा कि नगर परिषद मे वाहन अधिक आ गये है जबकि ड्राईवर कम है। आज 6 फायर गाडी है एवं अन्य वाहन है। फायर गाड़ी पर तीन–तीन ड्राईवर होने से 18 ड्राईवर होने चाहिये एवं अन्य गाड़ियों

पर 26 ड्राईवर होन चाहिये। अतः तीस चालक पदो के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति ली जानी चाहिये।

भूमि विक्रय की 20.00 करोड़ रूपये आय दर्शाई गई है। जबकि नगर परिषद में काफी आय है। अतः भविष्य के लिये भूमि रखी जानी उचित है। जब आवश्यकता होतो विक्रय कर दी जावे। इस पर सभापति महोदया ने अवगत कराया की राणीसती के पास पूर्व में भू-खण्ड़ो की निलामी की गई थी जिसकी 1/4 राशि जमा करा दी गई एवं 3/4 राशि जमा नहीं कराई गई। अतः उक्त राशि जब्त की जाकर निलामी निरस्त कर दी गई थी। उक्त भू-खण्डो की पुनः निलामी का प्रावधान रखा गया है। जिस पर माननीय पार्षद श्री जीवण खां ने भी सहमति दी। माननीय पार्षद श्री विजय कुमार ने कहा कि वर्तमान में काफी वाहन है लेकिन खडे रहने के लिये गैरेज में सैड नहीं है। अतः सैड निर्माण के लिये 30.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा जाना चाहिये। विधुत व्यवस्था हेतु भी 3 जोन बनाये जाने चाहिये। माननीय पार्षद श्री जीवण खां एवं श्री सम्पत सिंह ने कहा कि स्ट्रीट लाईट वायर विस्तार हेतु 300 लाख रूपये रखे गये है। जबकि शहर बढता जा रहा है। अतः इसमें भी प्रावधान 600 लाख का होना चाहिये।

माननीय पार्षद श्री मुश्ताक तंवर ने कहा कि निर्बन्ध राशि में इस बार प्रावधान नही रखा है, जो कि रखा जाना चाहिये। सफाई कर्मचारियों की भर्ती का प्रावधान है या नही ? नगरीय विकास कर, विवाह स्थलों पर शुल्क, भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र, विज्ञापन, दण्ड व शास्तियों आदि में आय मद में राशि कम दर्शाई गई है, अतः आय बढाने के लिये कर वसूली के कार्य में गति शीलता लाई जावे, एवं अतिक्रमण शुल्क में आय नही दर्शाई गई है, इसमें भी आय का प्रावधान रखा जावे। माननीय पार्षद श्री शाकीर भारती ने कहा कि मद संख्या 410/29 मे व्यय शून्य दर्शाया गया है एवं पूछा क्या स्थानीय विधायक महोदय व राज्य सरकार विकास के लिये पैसे नहीं देग ? इस पर माननीय विधायक महोदय ने कहा कि निर्बन्ध राशि के रूप में राज्य सरकार से अधिक से अधिक राशि लाने का प्रयास करूंगा और गतवार से ज्यादा राशि लाने की कोशिश करूंगा और सब मिलकर शहर का विकास करेंगे। जिसमें काई कमी नही आने दी जायेगी। माननीय श्री गोपाल पार्षद ने निर्बन्ध राशि में 150.00 लाख का प्रावधान रखे जाने का प्रस्ताव दिया।

कब्रिस्तानों में भी हाई मास्क लाईट नही है जो लगाई जानी चाहिये। माननीय पार्षद श्रीमति लक्ष्मी देवी ने कहा कि नवलगढ रोड पर बने नाले को ट्रक युनियन तक बढाया जावें एवं पुलिया के पास निर्मित सम्पवेल की क्षमता बढाई जावे। नवलगढ़ रोड़ पर शलभ कॉम्पलेक्स बनवाया जावे व चौराहे का सौन्दर्यकरण किया जावें एवं थाने के पास पडी खाली भूमि पर पार्क बनवाया जावे। गोल्याणी शमशान स्थित शमशान भूमि पर हाई मास्क लाईट लगवाई जावे, सड़क मरम्मत व रोशनी व्यवस्था हेतु अधिक बजट का प्रावधान किया जावें।

माननीय पार्षद श्री बाबुलाल शर्मा ने कहा कि बजट में राशि बढाने के जो प्रस्ताव आये है जो शहर के विकास के लिये है, हम सब को दलगत राजनिती से उपर उठकर शहर के विकास में सहयोग देना चाहिये एवं सब में आपसी सहयोग व शिष्टाचार होना चाहिये । हम सदा से सहयोग करते रहे है। माननीय उपसभापति ने कहा कि हमने बजट का विरोध नही किया था। समय कम होने कि वजह से बैठक का समय बढाने का आग्रह किया था। हम चाहते है कि बजट सर्व सम्मति से पारित हो। बाद विचार विमर्श उपरोक्त सभी संशोधित प्रस्तावों को स्वीकृत करते हुये निम्नानुसार संशोधित राशि का बजट सर्व सम्मति से पारित किया गया।

विवरण	चालू वर्ष का संशोधित अनुमान 2013-14	अगले वर्ष का बजट अनुमान 2014-15
	Rs.	Rs.
1	2	3
प्रारम्भिक शेष *	4492.52	4488.50
जोड़े :–		
राजस्व प्राप्ति	2748.29	5040.73
पूंजी प्राप्ति	5476.27	3373.15
कुल	12717.08	12902.38
घटाय :–		
राजस्व व्यय	2504.99	2920.14
पूंजी व्यय	5723.59	8665.01
अन्तिम शेष *	4488.50	1317.23
कुल	12717.08	12902.38

माननीय पार्षद मुश्ताक तंवर ने कहा कि [illegible] के [illegible] में [illegible] राशि का प्रावधान रखा है, जबकि चुनाव [illegible] [illegible] । अतः इस मद में 3.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा जावे [illegible] मद संख्या 2.0 सामाजिक संस्थाओं को अनुदान में कम राशि का प्रावधान रखा है जो बढ़ाया जाना चाहिये। जो निम्नानुसार प्रस्तावित है :--

गौशाला को 11.00 लाख, सांस्कृतिक [illegible] लाख [illegible] कल्याण आरोग्य सदन को 1.50 लाख, शमा डिस्पेन्सरी को 3.00 [illegible] [illegible] सेवा समिति को 3.00 लाख का अनुदान/सहायता दिये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिये। माननीय पार्षद श्री विजय कुमार शर्मा ने कहा कि [illegible] को भी [illegible] अनुदान/सहायता दी जानी चाहिये, लेकिन इसके साथ शर्त [illegible] के लिए यह शर्त हो कि जब आवारा पशुओं को ले तो उन पर निशान [illegible] किया जावे जिससे मालुम हो सके कि उनको वापस नही छोडा गया है। [illegible] समिति [illegible] शर्मा ने कहा कि दुर्घटना से चोट आने पर [illegible] [illegible] में [illegible] संभाल हो। माननीय पार्षद श्री प्रहलाद सैनी ने कहा कि [illegible] छोड दिया जाता है। अतः पाबन्द किया जावे कि इन्हे वापस [illegible] श्रीमति [illegible] शर्मा ने कहा कि हाथ ठेले वालों के लिये जगह चिन्हित [illegible] [illegible] निर्धारित की जावे। कलेक्ट्रेट के सामने बनने वाले [illegible] जावे। माननीय पार्षद श्री शाकीर भारती ने कहा कि [illegible] निर्माण में भी 200.00 लाख का प्रावधान है जो दुगुना कर 400.00 लाख [illegible] को बढ़ावा देने के लिये भी प्रावधान रखा जावे। माननीय [illegible] रखा कि मद संख्या 410/30 W.B.M. सड़क, [illegible] सड़कों के लिये भी प्रावधान कम है, जिसे दुगुना कर क्रमशः W.B.M. सड़क [illegible] राशि 200.00 लाख, 2000.00 लाख व सिमेन्ट सड़कों [illegible] का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय पार्षद श्री मोहम्मद सदीक ने कहा कि [illegible] व्यवस्था [illegible] सुधारने के लिये सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिये, जो [illegible] ।

माननीय पार्षद श्रीमति सुबे दौलत ने [illegible] प्रस्ताव रखा कि वार्ड नं. 24 पठानों के मोहल्ले मे हाई [illegible] लगाई जानी चाहिये। माननीय पार्षद श्रीमति आबिदा बानो चौहान ने कहा कि [illegible] के बीच में स्थित

माननीय पार्षद श्री विजय कुमार ने 27 पार्षदों के हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव देते हुये कहा कि केन्द्र सरकार शहर में सिवरेज योजना [illegible] लिये 3?5.00 करोड़ रूपये देने के लिये तैयार है, बशर्ते कि [illegible] अपनी हिस्सा राशि 10 प्रतिशत देने के लिये तैयार हो इस योजना को [illegible] के लिए एस टी पी निर्माण जरूरी है। अतः देवीपुरा केन्द्रीय बस डिपो [illegible] 5 M.L.D. STP का निर्माण वास्ते 1.275 हैक्टेयर भूमि एवं नानी बीड सालासर रोड 10 M.L.D. STP निर्माण हेतु 2.48 हैक्टेयर भूमि एवं स्मृतिवन में सांवली रोड [illegible] लिंक रोड हेतु 2.48 हैक्टेयर स्थित वन भूमियों का डायवर्जन करने हेतु [illegible] को NOC दी जानी चाहिये इस पर बाद विचार विमर्श उक्त भूमियों को [illegible] के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया [illegible] 3?5.00 करोड़ की राशि में से 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार [illegible] स्वीकृति का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

इसके पश्चात सभापति महोदया द्वारा बैठक [illegible] धन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की।

राजेश्वरी सैनी
सभापति
सभापति
नगर परिषद, सीकर
नगर परिषद, सीकर

सचिव
नगर परिषद, सीकर

आयुक्त
आयुक्त
नगर परिषद, सीकर
नगर परिषद, सीकर

दिनांक :– 05/3/2015

क्रमांक :– 214–276

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सभापति महोदया, नगर परिषद, सीकर
2. माननीय श्री महादेव सिंह जी खण्डेला, सांसद, [illegible]
3. माननीय श्री रतनलाल जी जलधारी, विधायक, [illegible] सीकर
4. श्रीमान निदेशक, स्वायत शासन विभाग, जयपुर
5. श्रीमान जिला कलेक्टर, सीकर
6. श्रीमान उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानिय निकाय विभाग [illegible]
7. उपसभापति महोदया, नगर परिषद, सीकर
8. समस्त पार्षदगण, नगर परिषद, सीकर
9. अधिशाषी अभियन्ता, नगर परिषद, सीकर
10. सचिव, नगर परिषद, सीकर
11. लेखाधिकारी, नगर परिषद, सीकर

सत्य प्रतिलिपि
20-04-2015
अधिशाषी अभियन्ता
नगर परिषद, सीकर

कार्यालय नगर परिषद, सीकर

क्रमांक :– 301–365 दिनांक :– 26/2/2015

बैठक कार्यवाही विवरण

नगर परिषद सीकर के मण्डल की साधारण बैठक का आयोजन परिषद सभागार में दिनांक 24/02/2015 को प्रातः 11:00 बजे किया गया। बैठक में सभापति, उपसभापति व निम्न पार्षदगण उपस्थित हुए :–

1. श्री जीवण खां, सभापति
2. श्री अशोक चौधरी, उप सभापति
3. श्री शंकरलाल सैनी, पार्षद
4. श्री चांद खां मुगल, पार्षद
5. श्री बजरंगलाल पंवार, पार्षद
6. श्री योगेन्द्र कुमार, पार्षद
7. श्री मुस्ताक अहमद, पार्षद
8. श्री बलराम नायक, पार्षद
9. श्रीमति सुमित्रा देवी, पार्षद
10. श्री विनोद सैठी, पार्षद
11. श्री मोहम्मद मुस्ताक तंवर, पार्षद
12. श्री मोहम्मद शरीफ, पार्षद
13. श्री मुबारिक रंगरेज, पार्षद
14. श्रीमति रूकिया बानो, पार्षद
15. श्री मोहम्मद शाकीर, पार्षद
16. श्रीमति कंचन कुमावत, पार्षद
17. श्री रमजान बहलीम, पार्षद
18. श्रीमति रूचिका जोशी, पार्षद
19. श्री विमला कुमावत, पार्षद
20. श्री भागीरथमल सैनी, पार्षद
21. श्री आरिफ खोखर, पार्षद

22. श्रीमति सुमित्रादेवी गाउका, पार्षद
23. श्री अशोक कुमार सैनी, पार्षद
24. श्री परमेश्वरलाल सैनी, पार्षद
25. श्री अशोक कुमार चौधरी, पार्षद
26. श्री सुल्तान सिंह, पार्षद
27. श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, पार्षद
28. श्री विश्वनाथ सैनी, पार्षद
29. श्री शुजाउद्दीन चौहान, पार्षद
30. श्रीमति सुबै दौलत, पार्षद
31. श्री महावीर प्रसाद वर्मा, पार्षद
32. श्री रविकान्त तिवाड़ी, पार्षद
33. श्रीमति नीतू तिवाड़ी, पार्षद
34. श्री खतिजा बानो, पार्षद
35. श्री सन्तोष देवी, पार्षद
36. श्री प्रेमचन्द सैनी, पार्षद
37. श्री सुरेश कुमार सैनी, पार्षद
38. श्रीमति पिंकी सैनी, पार्षद
39. श्री सरोज देवी, पार्षद
40. श्री सुलतान सिंह, पार्षद
41. श्री सुनील कुमार शर्मा, पार्षद
42. श्री हरीराम भड़िया, पार्षद
43. श्रीमति सपना चौधरी, पार्षद
44. श्री महेश जाखड़, एडवोकेट, पार्षद
45. श्रीमति शारदा दानोदिया, पार्षद
46. श्री मोहम्मद जावेद चौहान, पार्षद
47. श्रीमति आबिदा बानो, पार्षद
48. कुमारी रेशमा वर्मा, पार्षद
49. श्रीमति परवीन बानो, पार्षद

बैठक में कोरम पूर्ण होने पर सभापति महोदय श्री जीवण खां की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार हुई :–

सर्वप्रथम सभापति महोदय ने कहा कि मण्डल के नव निर्वाचित उपस्थित पार्षदगणों का स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूं। इसके साथ ही परिषद के उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगणों तथा मिडिया के उपस्थित प्रतिनिधियों एवं उपस्थित गणमान्य नागरिकों का भी इस अवसर पर स्वागत करता हूं। मेरा आग्रह है कि पार्षदगण अपना अपना परिचय सदन में देवे ताकि परिषद परिवार के अधिकारी/कर्मचारीगणों से पारस्परिक परिचित हो सके। इस पर उपस्थित पार्षद महानुभावों ने एक एक करके अपना परिचय सदन में दिया। इसके साथ ही परिषद के आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों ने पार्षदगणों का माला पहना कर एवं पुष्प भेंट करके सदन में परिषद की तरफ से औपचारिक स्वागत किया।

इसके बाद सभापति महोदय ने कहा कि सदन की अनुमति से आज की बैठक के एजेन्डे को क्रमवार सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कड़ी में सर्वप्रथम एजेन्डा का प्रथम बिन्दु बजट वर्ष 2015–16 सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं :–

1. बजट वर्ष 2015–16 की स्वीकृति बाबत

सभापति महोदय ने कहा कि सीकर की जनता ने आप पार्षद महानुभावों को शहर के विकास एवं मूलभुत समस्याओं के समाधान करने के लिए निर्वाचित करके भेजा है। इस क्रम मे आज के अवसर पर हम सभी यह संकल्प करे कि जनता की आशाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए हम पूरी मेहनत एवं लगन के साथ अपना कार्य करेगें। आप हम सभी जानते है कि नगर परिषद द्वारा आम जनता को सबसे बुनियादी सुविधा सफाई एवं रोशनी की सेवा दी जाती है तथा शहर के विकास एवं सौन्दर्यकरण का कार्य करवाया जाता है। परिषद की सेवाओं से आम व्यक्ति का जीवन प्रत्यक्ष प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति मे परिषद का दायित्व बहुत बड़ा एवं महत्वपूर्ण हो जाता है। परिषद अपनी सेवाऐ सुचारू रूप से जनता को उपलब्ध करवा सके इस दिशा मे वार्षिक बजट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें शहर के भावी विकास एवं योजनाओं का खाका सम्मिलित रहता है। इस दिशा मे नव निर्वाचित मण्डल का प्रथम बजट वित्तीय वर्ष 2015–16 का आपके समक्ष विचार हेतू रख रहा हूँ। आप अपने बहुमूल्य सुझाव दे सकते है, जिन पर मण्डल द्वारा विचार करके उचित निर्णय किया जावेगा। बजट मे कुल आवर्तक आय 7443.21 लाख प्रस्तावित की गई है तथा अनावर्तक आय 5722.29 लाख प्रस्तावित है।

आय के मुख्य मदो मे गृहकर/नगरीय विकास कर से 60 लाख रुपये आय रखी है। राजस्व एवं क्षतिपूर्तियो के मद मे 1177.16 की सम्भावित आय रखी गई है। निकाय सम्पतियो के किराये से 2.80 लाख

सभापति महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि जनता की सुविधाओं के लिए उक्त स्थानों पर परिषद की तरफ से सुलभ कॉम्प्लेक्स/पेशाबघर की सुविधाएं निर्मित करना आवश्यक है। इसके लिए स्थान चिन्हित करके उक्त जन सुविधाएं सुलभ कराना उचित है। इस पर मण्डल ने उक्त प्रस्ताव को उचित बताते हुए उपरोक्त स्थानों पर सुलभ कॉम्पलेक्स अथवा पेशाबघर जो उपयुक्त हो बनाकर जन सुविधाएं सुलभ कराने के लिए स्वीकृति प्रदान की और होने वाले व्यय की वित्तीय स्वीकृति भी साथ ही प्रदान की।

14. निम्न स्थानों पर विकास कार्य हेतु वन भुमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव भेजने की स्वीकृति बाबत।

(I) शान्ति नगर, रामेश्वर कॉलोनी से औद्योगिक क्षेत्र तक सड़क निर्माण हेतु 1.0 हैक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन करवाने का प्रस्ताव।

(II) पोलो ग्राउण्ड से बालाजी के मन्दिर तक सड़क निर्माण के लिए 1.0 हैक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन कराने का प्रस्ताव।

(III) सांवली रोड पर स्टेडियम के सामने से औद्योगिक क्षेत्र तक लिंक रोड निर्माण के लिए गत मण्डल की बैठक दिनांक 05.03.2014 में पारित प्रस्ताव में क्षेत्रफल 2.48 हैक्टेयर के स्थान पर 4.2 हैक्टेयर का क्षेत्रफल संशोधित करने बाबत।

(IV) स्मृति वन सीकर परियोजना के लिये ईको इन्वायरमेन्ट सेन्टर के निर्माण हेतु 0.15 हैक्टर वनभूमि के प्रत्यावर्तन की अनुमति बाबत।

समापति महोदय ने उपरोक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए बताया कि वन भूमि में से जनता की सुविधा के लिए सड़क निर्माण एवं स्मृति वन परियोजना जैसी परिसम्पत्तियों के लिए वन भूमि के उपयोग करने की स्वीकृति के लिए वन भूमि का डायवर्जन करने का प्रस्ताव भेजा जाना उचित है। इस पर मण्डल ने विचार विमर्श करके सर्वसम्मति से निम्न उद्देश्यों/परिसम्पत्तियों के लिए जनहित में वनभूमि के डायवर्जन की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुमोदन किया :-

(I) शान्ति नगर, रामेश्वर कॉलोनी से औद्योगिक क्षेत्र तक सड़क निर्माण हेतु 1.0 हैक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन करवाने का प्रस्ताव।

(II) पोलो ग्राउण्ड से बालाजी के मन्दिर तक सड़क निर्माण के लिए 1.0 हैक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन कराने का प्रस्ताव।

(III) सांवली रोड पर स्टेडियम के सामने से औद्योगिक क्षेत्र तक लिंक रोड निर्माण के लिए गत मण्डल की बैठक दिनांक 05.03.2014 में पारित प्रस्ताव में क्षेत्रफल 2.48 हैक्टेयर के स्थान पर 4.2 हैक्टेयर का क्षेत्रफल संशोधित करने बाबत।

(IV) स्मृति वन सीकर परियोजना के लिये ईको इन्वायरमेन्ट सेन्टर के निर्माण हेतु 0.15 हैक्टर वनभूमि के प्रत्यावर्तन की अनुमति बाबत।

15. निर्बन्ध योजना में स्वीकृत कार्य रोशनगंज से शिव कॉलोनी तक एवं शिव कॉलोनी से बीड़ तक पाईप ड्रेन के स्वीकृत कार्य को मौके की परिस्थिती के कारण स्थान में आंशिक संशोधन करना आवश्यक होने से अब यह कार्य निम्न स्थान पर किया जाना है :-

(I) बकरा मण्डी स्कुल के पूर्व दिशा वाली गली से बकरा मण्डी के उत्तरी-पश्चिमी कॉर्नर तक 900 एम.एम. व्यास का पाईप नाला निर्माण।

(II) बकरा मण्डी चौराहे से मुख्य चेम्बर से बकरा मण्डी के उत्तरी-पश्चिमी कॉर्नर तक 900 एम.एम. व्यास का पाईप नाला निर्माण

(III) बकरा मण्डी के उत्तरी-पश्चिमी कॉर्नर से मोचियान जाव, फिरदोस कॉलोनी होते हुए ताज नगर तक टी.सी.आई.एल. द्वारा निर्मित बड़े पाईप नाले तक 1200 एम.एम. व्यास का पाईप नाला निर्माण।

सभापति महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मण्डल द्वारा विचार विमर्श करके सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की कि निर्बन्ध योजना में स्वीकृत कार्य रोशनगंज से शिव कॉलोनी तक एवं शिव कॉलोनी से बीड़ तक पाईप ड्रेन के स्वीकृत कार्य को मौके की परिस्थिती के कारण स्थान में आंशिक संशोधन करना आवश्यक होने से अब यह कार्य निम्न स्थान पर करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की जाती है :-

(I) बकरा मण्डी स्कुल के पूर्व दिशा वाली गली से बकरा मण्डी के उत्तरी-पश्चिमी कॉर्नर तक 900 एम.एम. व्यास का पाईप नाला निर्माण।

(II) बकरा मण्डी चौराहे से मुख्य चेम्बर से बकरा मण्डी के उत्तरी-पश्चिमी कॉर्नर तक 900 एम.एम. व्यास का

[illegible] नियमानुसार कार्यवाही करने की सहमति प्रदान की तथा सिटी मोनेटरिंग कमेटी में स्थान [illegible] हेतु रखने की सहमति दी।

[illegible]डल द्वारा उपरोक्त समस्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये। इसके बाद सभापति महोदय ने आग्रह किया कि फतेहपुर के पूर्व विधायक श्री भंवरू खां एवं नगर परिषद सीकर के पूर्व पार्षद श्री गफुर खां के निधन पर सभी उपस्थित महानुभाव दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस पर सभी ने दो मिनट का मौन रखा और शोक व्यक्त किया।

इसके बाद बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

(जीवण खां)
सभापति
नगर परिषद, सीकर

(मदन कुमार शर्मा)
आयुक्त
नगर परिषद, सीकर
दिनांक – 26/2/2015

क्रमांकः– 301–365

प्रतिलिपि :–

1. सभापति महोदय, नगर परिषद, सीकर
2. माननीय श्री सुमेधानन्द सरस्वती सांसद, सीकर वैदिक आश्रम, पिपराली,सीकर
3. माननीय श्री रतनलाल जी जलधारी, विधायक, सीकर निवासी डोलियों का बास, सीकर
4. श्रीमान निदेशक महोदय, स्वायत शासन विभाग, जयपुर
5. श्रीमान जिला कलेक्टर, सीकर
6. श्रीमान उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर
7. उपसभापति, नगर परिषद, सीकर
8. नेता प्रतिपक्ष, नगर परिषद, सीकर
9. समस्त पार्षदगण, नगर परिषद, सीकर
10. अधिशाषी अभियन्ता, नगर परिषद, सीकर
11. सचिव, नगर परिषद, सीकर
12. राजस्व अधिकारी, नगर परिषद, सीकर
13. लेखाधिकारी, नगर परिषद, सीकर
14. सहायक अभियन्ता (निर्माण), नगर परिषद, सीकर
15. कनिष्ठ अभियन्ता (विधुत), नगर परिषद, सीकर
16. उधान अधीक्षक, नगर परिषद, सीकर
17. कार्यालय सहायक नगर परिषद, सीकर
18. सम्बन्धित शाखा, नगर परिषद, सीकर

(मदन कुमार शर्मा)
आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

परिशिष्ट - C

वन अधिकार अधिनियम 2006 - जिला स्तरीय गठित समिति जिला - सीकर

कार्यवाही बैठक दिनांक 5 मई - 2015

आज अनुसूचित जनजाती और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति जिला सीकर की बैठक जिला कलक्टर महोदय सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 05 मई 2015 को जिला कलक्टर सीकर में आयोजित की गई इसमें सदस्यगणों की उपस्थिति इस प्रकार रही/

सदस्य गणों की उपस्थिति - A.D.M. सीकर

1 उपवन संरक्षक सीकर

2 जिला समाज कल्याण अधिकारी सीकर (राजेन्द्र कुमार इन्दा) (सहायक निदेशक)

3 श्री मुकेश कुमार मीणा जिला परिषद सदस्य

4 श्रीमती वीना वर्मा " "

5 श्री मंवरलाल वर्मा " "

6 श्री प्रदीप मिश्रा एडवोकेट पार्षद न.प. सीकर

7 श्री सनाउद्दीन चौहान उर्फ पप्पु पहलवान " "

8 श्रीमती सुमित्रा देवी माऊका " " " सुमित्रा माऊका

9 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर

बैठक में उपस्थित सदस्यों को वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 व संशोधित नियम 2012 की पुस्तक व प्रतियां उपलब्ध कराई गई तत्पश्चात अधिनियम के नियमों व क्षेत्र तथा प्रभावित होने वाले समुदायों अनु० जनजातियों आदि के आवास व उनके वन अधिकारों की मान्यता पर अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकाश डाला गया।

श्री अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर व उपवन संरक्षक सीकर द्वारा वन भूमि को गैर वन भूमि में प्रत्यावर्तन के नियमों व किस किस कार्य हेतु प्रत्यावर्तन किया जा सकता है का वर्णन किया गया मिटिंग में सदस्यों को मिटिंग का एजेन्डा उपलब्ध कराया गया आज की बैठक में निम्न प्रकरणों पर विचार विमर्श किया जाना प्रस्तावित हुआ -

क्र.सं.	प्रकरण का नाम	क्षेत्रफल	वनखण्ड का नाम
1	फतेहपुर बस स्टेन्ड हेतु निर्माण क्षेत्रफल 1.50 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन	1.50 है0	फतेहपुर बीड़
2	132 KV बिजली लाईन की मेंटीनेंस सीकर लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर रतनगढ़ लाईन टावर फाउन्डेशन का स्ट्रेंथिंग कार्य	1.92 है0	बीड़ फतेहपुर हरसावा बड़ा बीड़ लक्ष्मणगढ़
3	N.H.65 राजस्थान बोर्डर से फतेहपुर सालासर रोड़ सुदृढीकरण व विस्तार कार्य	2.213 है0	देवास बीड़ N.H. फतेहपुर दांतरू बीड़
4-	सीकर नगरपरिषद क्षेत्र में देवीपुरा बीड़ की भूमि के 1.875 है0 में प्रस्तावित सीवरेज उपचार संयत्र के निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन	1.875 है0	देवीपुरा बीड़
5-	सीकर नगरपरिषद क्षेत्र में नानी बीड़ की वन भूमि के 2.48 है0 में प्रस्तावित सीवरेज संयत्र के निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन	2.48 है0	नानी बीड़
6-	नगर परिषद सीकर में सांवली रोड़ से औद्योगिक क्षेत्र सीकर तक लिंक रोड़ हेतु देवीपुरा बीड़ वन भूमि ख0न0 प्रा में से 4.20 है0 क्षेत्र वनभूमि का प्रत्यावर्तन	4.20 है0	देवीपुरा बीड़

प्रस्ताववार निम्न प्रकार विचार विमर्श किया गया

प्रस्ताव सं. 1- फतेहपुर बसस्टेन्ड निर्माण हेतु 1.50 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन - प्रस्तुत पत्रावली में उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर व नगरपालिका फतेहपुर का प्रमाणपत्र शामिल है जिसमें प्रस्तावित भू-खण्ड में अधिनियम 2006 में वर्णित किसी अनुसूचित जनजाती का निवास नहीं होना उनके कोई मामले शिकायत आदि लम्बित या प्रस्तावित नहीं होना बताया है उपवन संरक्षक सांवली रोड़ सीकर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी शामिल है

प्रस्ताव पर सर्वसम्मती से विचार विमर्श कर वन भूमि को गैर वन कार्य फतेहपुर बसस्टेन्ड निर्माण हेतु प्रयुक्ती पर स्वीकृती दी गई।

ड का
पुर
हपुर
वा बड़ा
क्ष्मणगढ़
बीड़
फतेहपुर
बीड़
त बीड़
बीड़
डरा बीड़
भूमि
कारी
ामिल
में
ना
ावित
कर

प्रस्ताव सं. 2 - 132 KV बिजली लाईन की मेन्टीनेन्स सीकर लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर रतनगढ़ लाईन टावर फाउन्डेशन व स्ट्रेन्थिंग कार्य हेतु 1.92 हैक्टे वनभूमि वनखण्ड बीड़ फतेहपुर हरसावा बड़ा बीड़, लक्ष्मणगढ़ का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव -

प्रस्ताव पर सर्वसम्मती से विचार विमर्श किया गया पत्रावली में उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर का प्रमाणपत्र ख० न० 46/1 ग्राम बीड़ फतेहपुर में कोई भी अनुसूचित जनजाती या वन्य आदि विकास/परम्परागत प्रारंभिक कृषक व अन्य कोई वन निवासी निवास नहीं करते तथा वन अधिनियम 2006 में वर्णित दावेदारों का कोई मामला लम्बित नहीं होने का व उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ का भी इसी प्रकार का प्रमाण-पत्र खसरा नम्बरों की सारिणी सहित शामिल है। इसके अलावा नगरपालिका मण्डल लक्ष्मणगढ़ के अधिशाषी अधिकारी, सरपंच ग्राम पंचायत गारिण्डा, ग्राम पंचायत कुमास जाटान का अनापत्ति प्रमाणपत्र विद्युत विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना खसरा नम्बरों व मानचित्रों सहित प्रस्तुत हुई है। प्रस्तावित वनक्षेत्र में अनुसूचित जन जातियों या अन्य परम्परागत वन निवासियों या प्रारंभिक कृषकों के न होने एवं अधिनियम में वर्णित कोई मामले लम्बित या प्रस्तावित न होने की दशा में वन भूमि क्षेत्र 1.92 के प्रत्यावर्तन हेतु सर्वसम्मती से स्वीकार किया गया

प्रस्ताव सं. 3 - N.H.65 राजस्थान बोर्डर से फतेहपुर सालासर रोड़ सुदृढ़ीकरण व विस्तार कार्य हेतु देवास बीड़, N.H. फतेहपुर, दांतरू बीड में से 2.213 हैक्टे वन भूमि का प्रत्यावर्तन

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। पत्रावली में ग्राम सभा ग्राम पंचायत दांतरू ग्राम सभा ग्राम पंचायत देवास, ग्राम सभा गो हलसाहबसर की मिटिंगों की कार्यवाहीयों की फोटोप्रतियां उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर का प्रमाणपत्र जिसमें वर्णित है कि वन अधिनियम 2006 में वर्णित किसी भी अनुसूचित जन जाती या समुदाय का कोई मामला लम्बित नहीं है। अतः सर्व सम्मती से वन भूमि 2.213 हैक्टे के प्रत्यावर्तन गैर वन भूमि सड़क कार्य हेतु स्वीकार किया गया

प्रस्ताव सं. 4 - सीकर नगरपरिषद क्षेत्र में देवीपुरा बीड की भूमि के 1.8 हैक्टे में प्रस्तावित सिविरेज उपचार संयन्त्र के निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन

प्रस्ताव सं.5- सीकर नगर परिषद क्षेत्र में नानी बीड़ की वन भूमि के 2.48 हे० में प्रस्तावित सिवरेज संयत्र के निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन

प्रस्ताव सं. 6- नगर परिषद सीकर में सांवली रोड से औद्योगिक क्षेत्र सीकर तक लिंक रोड हेतु देवीपुरा बीड़ वन भूमि क्षेत्रफल 410 में से 4.20 हे० क्षेत्र वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव

प्रस्ताव सं. 5 से 6 तक सभी एक ही यूजर्स नगर परिषद सीकर से सम्बन्धित होने के कारण सामूहिक कर विचार विमर्श किया गया। उपरोक्त प्रस्तावों की सभी पत्रावलीयों में नगर परिषद सीकर की साधारण सभा की बैठक दिनांक 05-03-2014 की कार्यवाही की फोटोप्रति उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04-05-2015 की फोटो प्रति परिशिष्ट के रूप में शामिल है जिनमें वर्णित है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र में अधिनियम 2006 में वर्णित कोई भी अनुसूचित जन जाती या अन्य वन आजीविका पर आधारित कोई समुदाय या ऐसे प्रारंभिक कृषक जिनके हित इस प्रत्यावर्तन से प्रभावित होते हो निवास नहीं करते है व इनके कोई मामले लम्बित या प्रस्तावित नहीं है। उपवन संरक्षक सांवली रोड सीकर का अनापत्ती प्रमाण पत्र भी सभी पत्रावलीयों में शामिल है। कार्य योजना व मानचित्र मय राजस्व रेकार्ड शामिल है। अतः अनुसूचित जन जातीयों और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 के अनुरूप के कोई मामले लम्बित नहीं होने की दशा में प्रस्ताव सं. 5 से 6 तक की वन भूमि प्रत्यावर्तन गैर वन कार्य हेतु सर्व सम्मती से स्वीकार किया गया।

तत्पश्चात सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई

(L.N. SONI)
जिला कलक्टर, सीकर

परिशिष्ट B

वन अधिकार अधिनियम 2006 मिटिंग दि० 04-05-2015

अनुसूचित जनजाती और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिनियम की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति उपखण्ड सीकर की बैठक उपखण्ड अधिकारी सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 04 मई 2015 को आयोजित की गई जिसमें सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही

उपस्थिति

1 उपखण्ड अधिकारी सीकर
2 महेश कुमार रेंजर — महेश कुमार
3 श्री महेन्द्र कुमार मीणा प्र० मु० सदस्य पंचायत समिति — [illegible]
4 श्रीमती चम्पादेवी " " " — चम्पादेवी
5 श्री विक्रमसिंह " " — विक्रमसिंह
6 श्री सुल्तानसिंह मूण्ड पार्षद नगर परिषद सीकर — [illegible]
7 श्री मोहम्मद जावेद " " — जावेद
8 श्रीमती [illegible] " "

बैठक में वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 में वर्णित उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया इस बैठक में निम्न एजेन्डो पर विचार विमर्श किया गया

क्र० सं०	प्रकरण का नाम	क्षेत्रफल	वनखण्ड का नाम
1	सीकर नगरपरिषद क्षेत्र में देवीपुरा बीड की वन भूमि के 1.875 है० क्षेत्रफल में प्रस्तावित सिवरेज उपचार संयत्र के निर्माण हेतु वन भूमि परिवर्तन प्रकरण	1.875 है०	देवीपुरा बीड
2	सीकर नगरपरिषद क्षेत्र में नानी बीड की 2.48 हैक्टर क्षेत्र में प्रस्तावित सिवरेज संयत्र के निर्माण हेतु	2.48 है०	नानी बीड
3	नगर परिषद सीकर में सांवली रोड से औद्योगिक क्षेत्र सीकर तक लिंक रोड हेतु देवीपुरा बीड वनभूमि [illegible] पार्क में से 4.20 है० क्षेत्र वन भूमि परिवर्तन प्रस्ताव	4.20 है०	देवीपुरा बीड

उपरोक्त प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि - उक्त प्रस्तावों में वन भूमि को गैर वनभूमि उपयोग में लेने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र में कोई वन अधिकारों की मान्यता में वर्णित अनुसूचित जनजाति या अन्य परम्परागत वन निवासियों का कोई समूह या परिवार इस क्षेत्र में निवास नहीं करता है। ऐसे जन जातियों या समुदायों का कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। कोई दावा प्रस्तावित या लम्बित नहीं है। प्रस्तावित वन भूमि पर प्रारंभिक कृषक समुदायों के हित भी प्रभावित नहीं होते हैं अतः वन भूमि प्रत्यावर्तन में इस अधिनियम की कोई धारा प्रभावित नहीं होती है।

उपखण्ड अधिकारी सीकर